प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **09-10-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- अवैध चरस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना गलशहीद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अवैध मादक पदार्थो के निर्माण/तस्करी, नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.10.2025 को थाना गलशहीद पुलिस द्वारा गश्त/चैकिगं के दौरान अभियुक्त अरशद पुत्र इरशाद निवासी असालतपुरा थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 150 ग्राम चरस बरामद हुयी। इस संबंध थाना गलशहीद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 108/2025 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

1. अरशद पुत्र इरशाद निवासी असालतपुरा थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

बरामदगीः-

150 ग्राम चरस बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 अमर मलिक थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।
2.उ0नि0 परवेज थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।
3.हे0का0 दिनेश कुमार थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।
4.का0 सुमित कुमार थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद।

2- गाली-गलौज,जान से मारने की धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा डालने के 01 आरोपी को अवैध तमंचे के साथ थाना मझोला पुलिस ने किया गिरफ्तार।-

अवगत कराना है दिनांक 08.10.2025 को वादी निवासी थाना मझोला क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा सम्भागयी परिवहन कार्यालय मुरादाबाद के कर्मचारीगण के साथ गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देना तथा जान से मारने का भय दिखाकर रंगदारी की मांग करना तथा अनुचित दबाब बनाते हुये सरकारी कार्य में बाधा डालना व सरकारी दस्तावेज फाडना आदि के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी । तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0-982/2025 धारा-351(3),352, 308(5),121(1),132,221 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 09.10.2025 को उ0नि0 श्री बृजेश कुमार सोलंकी थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी आलमगीर पुत्र हाजी मौ0 उस्मान निवासी डोम घर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

आलमगीर पुत्र हाजी मौ0 उस्मान निवासी डोम घर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगीः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 237/21 धारा 279/337/427 भादवि थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

2- मु0अ0सं0 982/2025 धारा-351(3),352, 308(5),121(1),132, 221 बीएनएस व धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

3- फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कार गायब करने का वांछित 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना मूढ़ापाण्ड़ेः-

अवगत कराना है दिनांक 20.07.2024 को वादी निवासी थाना मूढ़ापाण्ड़े क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पत्नी की कार के षडयन्त्र रचकर कूटरचित तरीके से फर्जी व जाली स्टॉम्प पेपर तैयार करके हड़प लेना तथा वादी की कार को गायब कर देना तथा गाडी के बारे मे पुछने पर वादी को गंदी गंदी गालियां देना तथा वादी के साथ मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मूढ़ापाण्ड़े पर मु0अ0सं0-343/2024 धारा- 420/ 467/ 468/ 471/ 323/ 504/ 506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.10.2025 को उ0नि0 श्री मदन कुमार थाना मूढ़ापाण्ड़े द्वारा मय हमराही पुलिसबल के वांछित आरोपी हरीश कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी राजीव नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नररेट जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

हरीश कुमार पुत्र पप्पू सिंह निवासी राजीव नगर खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नररेट जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 मदन कुमार थाना मूढ़ापाण्ड़े जनपद मुरादाबाद।

का0 राकेश कुमार थाना मूढ़ापाण्ड़े जनपद मुरादाबाद।

4-जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 13 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस **द्वारा 13 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

वारंटीः-

थाना बिलारी-01, थाना कांठ-01

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना कोतवाली नगर-02, थाना पाकबड़ा-04, थाना ठाकुरद्वारा-01, थाना भोजपुर-01, थाना डिलारी-01, थाना बिलारी-04